भारत INDIA
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मंडल, ग्वालियर केम्प सागर ‡म०प्र०‡

क्रमांक
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 3/2/06 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

‡1‡ हरीकिशन

‡2‡ रामरतन

पिसरान हल्काई यादव,

सभी निवासीयान ग्राम मनगुंवा,

पो०आ० दोह, तहसील बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ ‡ म०प्र०‡

R 1301/II/06 -- आवेदकगण / रिव्हीजनकर्त्ता

|| बनाम ||

1- म०प्र० शासन

2- सावंतसिंह तनय सुम्मेर सिंह

निवासी- दूबदेई, तह० बल्देवगढ़

जिला टीकमगढ़ ‡ म०प्र०‡ -- अनावेदकगण

रिवीजन तरफ से आवेदकगण अंतर्गत धारा- 52 म०प्र० लैण्ड रैवेन्यूकोड 1959

रिवीजनकर्त्ता आदेश दिनांक 25.01.2006 पारित द्वारा श्रीमान् एडीशनल कमिश्नर महोदय सागर के निगरानी प्रकरण क्रमांक- 178अ/19 वर्ष 2003-2004 हरीकिशन बगैरह बनाम म०प्र० शासन सावंतसिंह तारीख फैसला दिनांक 25.01.2006 जिसके द्वारा विद्वान एडीशनल कमिश्नर सागर ने श्रीमान् कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा ग्राम मनगुंवा तह. बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ में पारित आदेश दिनांक 30.03.2000 स्वमेव निगरानी प्रकरण क्रमांक- 105/स्व./निग./99-2000 मध्य-प्रदेश शासन बनाम सावंतसिंह जिसके द्वारा विद्वान एडीशनल कमिश्नर सागर ने फैसला स्थिर रखा, तथा श्रीमान् नायब तहसीलदार कुड़ीला द्वारा ग्राम मनगुंवा तह० बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ की भूमि खसरा नं. 361, रकवा 0.765 हेक्टेयर का व्यवस्थापन म०प्र० कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के तहत् किये अनावेदक क्र-2 के व्यवस्थापन को निरस्त करके माननीय कलेक्टर का आदेश दिनांक 30.03.2000 स्थिर रखा, के विरुद्ध अन्य आधारों के अलावा निम्नलिखित आधारों

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरान-1301-दो/2006 जिला टीकमगढ़ हरीकिशन विरूद्ध शासन व सावंत

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री ए.के.अग्रवाल एवं शासकीय अभिभाषक श्री कुर्रेशी उपस्थित । उभय पक्ष अभिभाषक को सुना गया । 3. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार कुडीला द्वारा ग्राम मनगुंवा स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 361 रकवा 0.765 हे. का व्यवस्थापन मध्यप्रदेश कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत अनावेदक सावंत सिंह को अपने राजस्व प्रकरण क्रमांक 551/अ-19(4)/1995-96 में पारित आदेश दिनांक 23-09-1996 द्वारा भूमि व्यवस्थापित की गई । उक्त भूमि व्यवस्थापन को अनियमित एवं नियम विरूद्ध पाते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने प्रस्ताव दिनांक 19-08-1999 द्वारा प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को स्वमेव निगरानी में लेने हेतु प्रेषित किया । कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश को नियम विरूद्ध पाते हुए निरस्त किया गया । कलेक्टर टीकमगढ़ के उक्त आदेश के विरूद्ध आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष प्रथम निगरानी प्रस्तुत की गई । आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा निगरानी आवेदन खारिज किया गया । आयुक्त सागर संभाग सागर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 4. उभय पक्ष अभिभाषक के तर्कों व अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा प्रथम निगरानी आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष की गई थी एवं इस न्यायालय में द्वितीय निगरानी प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959, की धारा 50 में द्वितीय निगरानी का प्रावधान न होने से कारण यह निगरानी निरस्त की जाती है । (आर.के. जैन) 16.01.2019 सदस्य	